



जोधपुर की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि

मंजू वर्मा
सह आचार्य इतिहास
श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय
सीकर –332001

सारांश :-—जोधपुर के राजाओं ने सिंधिया के आधिपत्य से मुक्त होने के उद्देश्य से पहले भी कई बार अंग्रेजों के साथ संधि करने के प्रयास किए थे जो असफल रहे। 1803 ईस्वी के अंत में मानसिंह ने लार्ड वेलेजली की तरफ से प्रस्तावित संधि की शर्तों में अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा अनुभव किया और अपनी ओर से संशोधित संधि पत्र का प्रारूप कंपनी सरकार के विचारार्थ प्रेषित किया। कंपनी सरकार ने संधि नहीं की। जोधपुर और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 की संधि युवराज छतर सिंह के समय में संपन्न हुई। यह संधि 1803 के पूर्ववर्ती प्रस्ताव से बहुत अधिक भिन्न थी। 1818 की संधि को शाश्वत मित्रता की संधि का नाम दिया गया।

सिंधिया के आधिपत्य से मुक्त होने के उद्देश्य से जयपुर की भांति जोधपुर के राजाओं ने पहले भी कई बार अंग्रेजों के साथ संधि करने के प्रयास किए थे जो असफल रहे। परंतु 1803 ईस्वी के अंत में लार्ड वेलेजली की तरफ से जोधपुर के राजा के पास प्रस्तावित संधि का एक मसविदा भेजा गया। मानसिंह ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित संधि की शर्तों में अपनी स्वतंत्रता के लिए खतरा अनुभव किया। उसके बदले में उसने अपनी ओर से संशोधित संधि पत्र का प्रारूप कंपनी सरकार के विचारार्थ प्रेषित किया। कंपनी सरकार ने संधि नहीं करने की सूचना मानसिंह के पास भिजवा दी। (1)

19 अप्रैल 1817 को मान सिंह ने सिंहासन त्यागा और अपने इकलौते पुत्र छतर सिंह को युवराज नियुक्त करने हेतु राजाज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिए। जोधपुर और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि युवराज छतर सिंह के समय में संपन्न हुई। स्वरूप और विषय की दृष्टि से यह संधि 1803 के पूर्ववर्ती प्रस्ताव से बहुत अधिक भिन्न थी।

1818 की संधि के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने ₹108000 वार्षिक करके, उस भुगतान के बदले जो महाराजा पहले सिंधिया को देता था, जोधपुर को अपने संरक्षण में ले लिया। (2) जोधपुर के महाराजा ने 1500 अश्वारोही जब आवश्यकता पड़े तब जोधपुर राज्य के संपूर्ण साधनों को ब्रिटिश सरकार की सेवा के लिए उपलब्ध करना स्वीकार किया। इस वचन-बंध को शाश्वत मित्रता की संधि का नाम दिया गया जिससे दोनों पक्षों के हितों की एकता स्थापित हुई, अर्थात् एक के मित्र और शत्रु दोनों के ही मित्र और शत्रु बन गए। (3) ब्रिटिश सरकार ने जोधपुर राज्य

और उसके प्रदेश की रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर लिया।(4) महाराजा भी इस बात के लिए सहमत हो गया कि वह अन्य नरेशों और राज्यों से न तो संबंध रखेगा और न बिना ब्रिटिश सरकार की जानकारी और अनुज्ञा के उनसे वार्ता ही करेगा(5) एवं पड़ोसी राज्यों के सभी झगड़ों को ब्रिटिश सरकार के पंच निर्णय और फैसले के लिए प्रस्तुत करेगा।(6) यह भी निर्मित हुआ कि महाराजा के वंशानुगत उत्तराधिकारी अपने देश के अबाधित शासक होंगे और उस राज्य में ब्रिटिश सरकार का कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं होगा।(7)

संदर्भ:-

1. राधे मोहन माथुर— राजपूत स्टेट्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, पृष्ठ 9–12
2. अनुच्छेद 8 जोधपुर से संधि, 6 जनवरी 1818, पोर्टफोलियो, फाइल संख्या 22, एचीसन उल्लिखित, भाग 8 पृ. 129 (डॉ. पदमजा शर्मा मानसिंह और उनका काल से उद्धत)
3. एचीसन— ए कलेक्शंस ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंट एंड सनद्स खंड 3 128 –129
4. एचीसन— ए कलेक्शंस ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंट एंड सनद्स खंड 3 128 –129
5. एचीसन— ए कलेक्शंस ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंट एंड सनद्स खंड 3 128 –129
6. एचीसन— ए कलेक्शंस ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंट एंड सनद्स खंड 3 128 –129
7. एचीसन— ए कलेक्शंस ऑफ ट्रीटीज एंगेजमेंट एंड सनद्स खंड 3 128 –129

